अपील सूचना अधिकार संख्या 52/2018 उम्मेद सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह वार्ड नं. 1, दुर्गा मंदिर के पास, आर.सी.पी. कॉलोनी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26–09–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री उम्मेद सिंह उपस्थित नही है। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नही है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2018 लोक सूचना अधिकारी एवंम तहसीलदार, अनूपगढ़ को प्रस्तुत कर सूचनाए चाही थी जो उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि मे उपलब्ध नही करवाई गई है इसलिए उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई है कि लोक सूचना अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तहत दण्डित किया जावे और वांछित सूचनाए उपलब्ध करवाई जावे।

पत्रावली के अवलोकन से यह पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार,अनूपगढ़ से सूचनाए प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2018 प्रस्तुत किया था जिसमें उसने निम्न सूचनाए चाही थीः–

1. **श्री गिरधारी स्वामी पुत्र श्री रामकिशन स्वामी, पत्रकार (सीमा सन्देश) स्वामी न्यूज एजेन्सी, वार्ड नं. 2, अनूपगढ़ (मो. 9414503452, 9549755995) द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना लेने के लिए किये गये आवेदनों की प्रमाणित फोटोप्रति उपलब्ध करवाये।**
2. **उपरोक्त व्यक्ति द्वारा सूचना लेने हेतु कितनी फीस जमा करवाई गई है।**
3. **उपरोक्त व्यक्ति द्वारा सूचना मांगने के पश्चात सूचना प्राप्त की गई अथवा नहीं तथा सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जाये।**
4. **अगर सूचना नहीं ली गई है तो कारण अथवा सूचना की आवश्यकता नहीं होने/सूचना नहीं लेने के लिए सहमति दी गई है तो सहमति पत्र की फोटोप्रति उपलब्ध करवायें।**
5. **उक्त मांगी गई सूचनाओं का विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा क्या निस्तारण किया गया की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।**
6. **श्री गिरधारी स्वामी द्वारा उक्त प्राप्त सूचनाओं को विभाग में उच्चाधिकारियों के समक्ष यदि कोई शिकायत/पत्र लिखा गया है तो उसकी भी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में अपीलार्थी के अपील पत्र पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र 2598 दिनांक 31.08.2018 से निम्न प्रकार सूचित किया है।

> उक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमानजी के कार्यालय का प्रासंगिक पत्र इस कार्यालय में दिनांक 24.08.2018 को प्राप्त हुआ है, जबकि आगामी तारीख पेशी 20.08.2018 अंकित है इस कारण निर्धारित तिथि को पैरवी नहीं की जा सकी है। इसके अलावा यह भी निवेदन है कि उक्त पत्र में वर्णित अपीलार्थी उम्मेद सिंह का सूचना का अधिकार का प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.05.2018 इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थी उम्मेदसिंह की अपील खारिज करने की व्यवस्था फरमावें।

चूंकि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2018 का तहसीलदार अनूपगढ़ को प्रषित करना बताया है जबकि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार अनूपगढ़ के पत्र दिनांक 31.08.2018 के अनुसार प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त होना नही पाया जाता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2018 पर कोई विधिवत् निर्णय नही हो सका। अतः प्रार्थी को निर्देशित करना उचित होगा कि वह अपना उक्त प्रार्थना पत्र पुनः लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार अनूपगढ़ को भिजवावे और जिस पर सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी शीघ्र विचार कर विधिवत् निर्णय पारित करे।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। उक्त आदेश की प्रति अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार अनूपगढ़ को भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर